न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :- कमल राम मीना, आर० ए० एस०)

अपील संख्या 204/2003 अन्तर्गत धारा 223 आर० टी० एक्ट

उनवान - 1. रामजीलाल पुत्र दुला जाति अहीर

2. मुरवराम पुत्र दुला जाति अहीर (फौत)

2/1. जितेन्द्र दत्तक पुत्र मुरवराम जाति अहीर निवासी मुण्डली तहसील बानसूर जिला अलवर

3. मदन पुत्र दुला जाति अहीर

4. जयराम पुत्र दुला जाति अहीर निवासीयान ग्राम मुण्डली तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान

5. रामजीलाल पुत्र भगवाना जाति अहीर निवासी ग्राम बहराम का बास तहसील बानसूर जिला अलवर

6. कालूराम पुत्र भगवाना जाति अहीर निवासी ग्राम बहराम का बास तहसील बानसूर जिला अलवर

:---- प्रतिवादीगण / अपीलांटस

बनाम

1 भरथा पुत्र चुन्ना जाति चमार (मृतक)

1/1 काशीराम पुत्र भरथा जाति चमार निवासी ग्राम बलवा का बास तहसील बानसूर जिला अलवर

1/2 नन्दलाल पुत्र भरथा जाति चमार निवासी ग्राम बलवा का बास

18/12

भू प्र... ... एवं पदेन
राजस्व अ... ...कारी, अलवर

तहसील बानसूर जिला अलवर

1/3 ओमकार पुत्र भरथा जाति चमार निवासी ग्राम बलवा का बास तहसील बानसूर जिला अलवर

1/4 मु0 लाली पुत्री भरथा जाति चमार निवासी ग्राम बलवा का बास तहसील बानसूर जिला अलवर

1/5 मु0 जडावली बेवाह भरथा जाति चमार निवासी ग्राम बलवा का बास तहसील बानसूर जिला अलवर ।

1/6 महावीर पुत्र भरथा जाति चमार निवासी ग्राम बलवा का बास तह0 बानसूर जिला अलवर राजस्थान

2. किशना पुत्र चुन्ना जाति चमार निवासी ग्राम बलवा का बास तह0 बानसूर जिला अलवर राजस्थान (मृतक)

2/1 दुर्गा पुत्र किशना जाति चमार निवासी ग्राम बलवा का बास तह0 बानसूर जिला अलवर

2/2 चिरंजी पुत्र किशना जाति चमार निवासी ग्राम बलवा का बास तह0 बानसूर जिला अलवर राजस्थान

2/3 रामावतार पुत्र किशना जाति चमार निवासी ग्राम बलवा का बास तहसील बानसूर जिला अलवर

2/4 धूंधली बेवाह किशना जाति चमार निवासी ग्राम बलवा का बास तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान

2/5 विमला बेवाह बद्रीप्रसाद जाति चमार निवासी ग्राम बलवा का बास तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान

18/12

2/6 सतीश पुत्र बद्रीप्रसाद जाति चमार निवासी ग्राम बलवा का बास तहसील बानसूर जिला अलवर नाबालिग बसरपरस्ती मु0 विमला माता खुद

2/7 रघुवीर पुत्र बद्रीप्रसाद जाति चमार निवासी ग्राम बलवा का बास तहसील बानसूर जिला अलवर नाबालिग बसरपरस्ती मु0 विमला माता खुद

2/8 अनिल पुत्र बद्रीप्रसाद जाति चमार निवासी ग्राम बलवा का बास तहसील बानसूर जिला अलवर नाबालिग बसरपरस्ती मु0 विमला माता खुद

2/9 काली पुत्री बद्रीप्रसाद जाति चमार निवासी ग्राम बलवा का बास तहसील बानसूर जिला अलवर नाबालिग बसरपरस्ती मु0 विमला माता खुद

3 रामजीलाल पुत्र चुन्ना (मृतक)

3/1 जगन पुत्र स्व0 रामजीलाल जाति चमार निवासी ग्राम बलवा का बास तहसील बानसूर जिला अलवर

3/2 विशम्भर पुत्र स्व0 रामजीलाल जाति चमार निवासी ग्राम बलवा का बास तहसील बानसूर जिला अलवर

:-- वादीगण/असल रेस्पो0

4. शंकर पुत्र भाना जाति चमार निवासी ग्राम बलवा का बास तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान (मृतक)

4/1 कुरडा पुत्र शंकर जाति चमार निवासी ग्राम बलवा का बास तह0

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन ... अपील अधिकारी, अलवर

बानसूर जिला अलवर राजस्थान

4/2 थावरिया पुत्र शंकर जाति चमार निवासी ग्राम बलवा का बास

तहसील बानसूर जिला अलवर

4/3 बुद्धि पुत्री शंकर जाति चमार निवासी ग्राम बलवा का बास तह0

बानसूर जिला अलवर राजस्थान

4/4 चांदबाई पुत्री शंकर जाति चमार निवासी ग्राम बलवा का बास तह0

बानसूर जिला अलवर राजस्थान

4/5 मनोहरी पुत्री शंकर जाति चमार निवासी ग्राम बलवा का बास तह0

बानसूर जिला अलवर राजस्थान

5 बोदन पुत्री भाना जाति चमार निवासी ग्राम बलवा का बास तह0
बानसूर जिला अलवर राजस्थान

6 भीखा पुत्र भाना जाति चमार निवासी ग्राम बलवा का बास तह0
बानसूर जिला अलवर राजस्थान

7 राज0 सरकार जरिये तहसीलदार बानसूर

:----- प्रतिवादीगण/तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी, बानसूर
दिनांक 6.11.2003

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- सुश्री सुषमा शर्मा

2. वकील रेस्पो0 :- श्री दाताराम यादव

निर्णय दिनांक 18.12.2019

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, बानसूर द्वारा राजस्व वाद संख्या 323/2001 में पारित निर्णय दिनांक 6.11.2003 के खिलाफ है, जिसके द्वारा

18/12

भू-प्रबन्ध [illegible]
[illegible]

वादी रेस्पो0 का वाद बाबत [illegible] व हुकम इम्तनाई दवामी डिक्री किया गया है ।

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने तहत न्यायालय मे एक वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 433 रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम हाजीपुर तहसील बानसूर के वादीगण खातेदार है । जिसमें से 5 बीघा 4 बिस्वा तो वादीगण के नाम दर्ज कर दी गई लेकिन शेष में से 2 बीघा 1 बिस्वा आराजी हाल खसरा नम्बर 1286 मे तथा 8 बिस्वा 1288 मे और 18 बिस्वा खसरा नम्बर 1319 मे शामिल कर दिया गया । वर्तमान में हाल खसरा नम्बर 1286, 1288, 1319 में शामिल साबिक खसरा नम्बर 433 का कुल रकबा 3 बीघा 09 बिस्वा पर हम आज भी काबिज है । वादीगण का कम हुआ रकबा प्रतिवादीगण के नाम गलत तौर पर दर्ज कर दिया गया । अत वाद पत्र डिकी किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा उक्त वाद पत्र डिकी किया है, जिसकी यह अपील है ।

3 विद्वान वकील अपीलाट ने अपनी लिखित बहस के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि आराजी खसरा नम्बर साबिक 1288 का रकबा 14 बिस्वा वाके ग्राम हाजीपुर तहसील बानसूर था, जिसके हाल खसरा नम्बर 1715 रकबा 18 एयर बनाया गया है । यह आराजी साबिक खसरा नम्बर 1288 भगवाना पुत्र खूबा की खातेदारी की आराजी थी । साबिक खसरा नम्बर 1288 व हाल खसरा नम्बर 1715 भगवाना की खातेदारी मे दर्ज है । वादीगण असल रेस्पो0 का यह कहना है कि उनकी 8 बिस्वा भूमि अपीलांट के खेत साबिक खसरा नम्बर 1288 हाल नम्बर 1715 में शामिल कर दिया गया है । वादीगण असल रेस्पो0 का यह कथन गलत है । उनके कथन गलत होने की ताईद तहसीलदार की मौका रिपोर्ट दिनांक 26.6.2011 से भी होती है, जिसमें स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि साबिक खसरा नम्बर 1288 हाल नम्बर 1715 की नपत करने पर पाया गया कि उक्त खसरा नम्बर का रकबा 18 एयर मौके पर पूरा है । नपत में अपीलांट के खसरा नम्बर 1715 में कोई रकबा असल रेस्पो0 का दबा हुआ नहीं पाया गया । अदालत हाजा द्वारा भी तहसीलदार बानसूर से मौका रिपोर्ट ली गई थी, जिसमें भी साबिक खसरा नम्बर 1288 हाल खसरा नम्बर 1715 का मौके पर पूरा रकबा पाया गया है । वादीगण रेस्पो0 की कोई

18/7/19

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

भूमि हमारी भूमि में शामिल नहीं की गई है । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4 विद्वान वकील असल रेस्पो0 वादीगण का कथन है कि पूर्व में विवादित आराजी की बाबत न्यायालय सहायक कलेक्टर बहरोड में वाद चला था, जिसका निर्णय दिनांक 1.4.81 को हुआ था । इसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के यहां प्रस्तुत हुई, जो अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण रिमांड किया गया था । इसके बाद सहायक कलेक्टर एवं तहसीलदार बहरोड द्वारा मौका जांच की गई । फिर हमारे पक्ष में अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया था, जो कि विधिसम्मत है । तहत अदालत द्वारा मौका रिपोर्ट तलब की गई थी । तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व मौके की रिपोर्ट तलब की गई थी । जिनमें सहायक कलेक्टर की मौका रिपोर्ट दिनांक 24.6.97 हमारे पक्ष में है । नायब तहसीलदार की मौका रिपोर्ट दिनांक 30.11.99 भी हमारे पक्ष में है । अपीलांट ने अन्य 2 विवादित खसरा नम्बरान की बाबत हमसे अदालत हाजा में राजीनामा कर लिया था और अपीलांट ने अदालत हाजा में यह लिखकर दे दिया है कि उनको इन नम्बरों की बाबत किसी प्रकार की रिलीफ नहीं चाहिये, इसलिये इन नम्बरों बाबत तहत अदालत की डिक्री यथावत रखी जावे । अब विवाद केवल आराजी खसरा नम्बर 1288 रकबा 8 बिस्वा का है । जिसे अपीलांट नम्बर 5 व 6 अपना बता रहे हैं । जबकि वास्तविकता यह है कि खसरा नम्बर 1288 का रकबा 8 बिस्वा हमारे साबिक खसरा नम्बर 433 का ही है, जिसे गलत तौर पर अपीलांट नम्बर 5 व 6 की खातेदारी में दर्ज कर दिया गया है । तहत अदालत ने सही तौर पर इस नम्बर की बाबत हमारे पक्ष में डिक्री प्रदान की है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । सर्वप्रथम हमने अदालत हाजा की पत्रावली का अवलोकन किया । अदालत हाजा की आदेशिका दिनांक 4.10.2007 के अवलोकन से सिद्ध है कि अपीलांट जयप्रकाश, मदनलाल व रामजीलाल ने यह प्रार्थना पत्र अदालत हाजा में इस आशय का प्रस्तुत किया था कि यह अपील आराजी खसरा नम्बर 1286, 1288 व 1319 की बाबत प्रस्तुत की गई है । हमारा विवाद आराजी खसरा नम्बर 1319 की बाबत है । अब हमको आराजी खसरा नम्बर 1319 की बाबत कोई रिलीफ नहीं चाहिये, इसलिये आराजी खसरा नम्बर

18/12

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

1319 को अपील से डिलीट किया जावे । उक्त अपीलांटस के प्रार्थना पत्र पर अदालत हाजा द्वारा दिनांक 4.10.2007 को अपील से आराजी खसरा नम्बर 1319 को डिलीट करने के आदेश दिये गये थे । इसके बाद दिनांक 19.5.11 को अपीलांटस रामजीलाल पुत्र दूला, मदनलाल पुत्र दूला, जयराम पुत्र दूला एवं रेस्पो0 ने मिलकर एक राजीनामा तहत अदालत में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांटस रामजीलाल, मदनलाल, जयराम आराजी खसरा नम्बर 1286 की बाबत अपील चलाने नहीं चाहते हैं, इसलिये अपील से आराजी खसरा नम्बर 1286 को डिलीट किया जावे । इस पर अदालत हाजा द्वारा दिनांक 27. 6. 2011 को अपील से आराजी खसरा नम्बर 1286 को डिलीट करने के आदेश पारित किये गये थे । इसके बाद तरतीबी रेस्पो0 संख्या 7/1 रामजीलाल पुत्र भगवाना, 7/2 कालूराम पुत्र भगवाना (संशोधिक शीर्षक प्रस्तुत होने से पूर्व) प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 एवं आदेश 6 नियम 17 सी0 पी0 सी0 दिनांक 11.3.2016 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि हम भगवाना के वारिसान है हमको अपील में तरतीबी रेस्पो0 बनाया गया है । आराजी खसरा नम्बर साबिक 1288 रकबा 14 बिस्वा हाल नम्बर 1715 रकबा 18 एयर उनके पिता भगवाना की खातेदारी की आराजी है । अपील में भगवाना को तरतीबी रेस्पो0 संख्या 7 बनाया गया था । उनके देहान्त के बाद हम रामजीलाल व कालू पुत्रान भगवाना को तरतीबी रेस्पो0 संख्या 7/1, 7/2 बनाया गया है । चूंकि अपीलांटस रेस्पो0 से राजीनामा कर विवादित आराजी को अपील से डिलीट करवा रहे हैं । पूर्व में भी अपीलांटस ने रेस्पो0 से राजीनामा करके आराजी खसरा नम्बर 1319 व 1286 को अपील से डिलीट करवा लिया है । अब वे आराजी खसरा नम्बर साबिक 1288 हाल नम्बर 1715 को भी राजीनामा करके अपील से डिलीट कराने चाहते हैं, अपील को खारिज कराने चाहते हैं, अतः हमको तरतीबी रेस्पो0 संख्या 7/1 व 7/2 के स्थान पर अपीलांट संख्या 5 व 6 के रूप में पक्षकार बनाया जावे । इस पर अदालत हाजा द्वारा दिनांक 30.6.17 को इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार प्रार्थीगण रामजीलाल व कालूराम पुत्रान भगवाना को तरतीबी रेस्पो संख्या 7/1 व 7/2 के स्थान पर अपीलांट नम्बर 5 व 6 के रूप में पक्षकार बनाने के आदेश दिये गये थे ।

6 पैरा नम्बर 05 में अंकित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि यह अपील आराजी खसरा नम्बर 1286, 1288, 1319 की बाबत प्रस्तुत की गई थी ।

18/12

अ-पालक अधिकारी एवं पदेन
... अधिकारी, अजमेर

आराजी खसरा नम्बर 1286 व 1319 की बाबत अपीलांटस ने रेस्पो0 से राजीनामा करके इन नम्बरों को अपील से डिलीट करवा लिया । इन नम्बरों के डिलीट होने के बाद तरतीबी रेस्पो संख्या 7/1, 7/2, रामजीलाल, कालूराम पुत्रान रामजीलाल अपीलांट नम्बर 5 व 6 के रूप में पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो अदालत हाजा द्वारा स्वीकार किया गया और रामजीलाल, कालूराम पुत्रान भगवाना को अपीलांट नम्बर 5 व 6 के रूप में पक्षकार बनाया गया है । इस प्रकार अब हमें अपीलांट नम्बर 5 व 6 रामजीलाल, कालूराम पुत्रान भगवाना बनाम रेस्पो0 बाबत आराजी खसरा नम्बर साबिक 1288 हाल नम्बर 1715 के सम्बन्ध में निर्णय करना है । इस सम्बन्ध में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि मौके पर आराजी खसरा नम्बर 1288 हाल नम्बर 1715 का रकबा पूरा है, इस आराजी में रेस्पो0 वादीगण का रकबा 8 बिस्वा नहीं मिलाया गया है । इस सम्बन्ध में हमने तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया । तहत अदालत की पत्रावली में संलग्न राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से सिद्ध है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर साबिक 1288 रकबा 14 बिस्वा हाल नम्बर 1715 रकबा 18 एयर का अपीलांट नम्बर 5 व 6 के पिता भगवाना खातेदार दर्ज है । विद्वान वकील रेस्पो0 वादीगण का कथन है कि उनकी खातेदारी का रकबा 8 बिस्वा अपीलांटस के पिता भगवाना की आराजी खसरा नम्बर 1288 में मिला दिया गया है, परन्तु वादीगण के इस कथन की ताईद उसके द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड से नहीं होती है । जहां तक मौके पर रकबा कमी बेशी का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में हमने पत्रावलियों में उपलब्ध विभिन्न मौका रिपोर्टो का अवलोकन किया । मौका रिपोर्ट दिनांक 26.6.2011, जिसकी प्रमाणित प्रति अदालत हाजा की पत्रावली में संलग्न है, में बताया गया है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1715 का रकबा 18 एयर मौके पर नक्शा एवं राजस्व रेकार्ड अनुसार पूरा है । तहत अदालत की पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट दिनांक 1.12.1980 में भी आराजी खसरा नम्बर 1288 का रकबा 14 बिस्वा रेकार्ड अनुसार मौके पर पूरा बताया गया है । इस प्रकार स्पष्ट है कि विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 1288 रकबा 14 बिस्वा का मौके पर रेकार्ड एवं नक्शा अनुसार रकबा पूरा है तो ऐसी स्थिति में तहत अदालत द्वारा अपीलांट की आराजी खसरा नम्बर 1288 में से रकबा 8 बिस्वा कम किया जाकर रेस्पो0 की खातेदारी दर्ज करने की डिक्री प्रदान करना विधिसम्मत नहीं है ।

18/12

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
.. अपील अधिकारी, अलवर

अदालत हाजा की पत्रावली में स्वयं रेस्पो0 संख्या 4/2 थावरराम पुत्र शंकर ने एक समझौता पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें उसने स्वीकार किया है कि मैंने विवादित आराजी खसरा नम्बर 1288 रकबा 14 बिस्वा वाके ग्राम हाजीपुर तहसील बानसूर काश्त के लिये भगवाना से ली थी । यह आराजी भगवाना की खातेदारी की है । भगवाना का देहान्त हो चुका है । अब मैं काश्त करने में सक्षम नहीं हूं, इसलिये आराजी मैंने भगवाना के वारिसान रामजीलाल व कालूराम को वापिस लौटा दी है । इस आराजी से मेरा अथवा मेरे वारिसान का कोई सम्बन्ध नहीं है । इस दस्तावेज से भी सिद्ध है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1288 रकबा 14 बिस्वा पर कब्जा अपीलांट रामजीलाल व कालूराम पुत्रान भगवाना का है । उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में यह सिद्ध है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1288 रकबा 14 बिस्वा का खातेदार अपीलांट के पिता भगवाना थे । इसके सम्पूर्ण रकबे पर अपीलांट काबिज है । मौके पर रकबा पूरा है । परन्तु विद्वान तहत अदालत ने इस आराजी में से 8 बिस्वा रकबा कम करके रेस्पो0 की खातेदार में दर्ज करने के आदे श दे दिये, जिसे विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता । लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है ।

7 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 6.11.2003 आराजी खसरा नम्बर 1288 कुल रकबा 14 बिस्वा में से 8 बिस्वा भूमि की हद तक निरस्त किये जाते हैं तथा साबिक खसरा नम्बर 1288 कुल रकबा 14 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 1715 रकबा 18 एयर वाके ग्राम हाजीपुर तहसील बानसूर के अपीलांट नम्बर 5 व 6 रामजीलाल व कालूराम पुत्रान भगवाना जाति अहीर को पूर्व खातेदारी के अनुसार यथावत खातेदार अंकित रहने के आदेश दिये जाते हैं । तहत अदालत के शेष अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 6.11.2003 यथावत रखे जाते हैं ।

8 निर्णय आज दिनांक 18.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया । पर्चा डिक्री जारी हो ।

18/12/19

(कमल राम मीना)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :- कमल राम मीना, आर० ए० एस०)

अपील संख्या :- 204/2003 अन्तर्गत धारा 223 आर० टी० एक्ट

उनवान :- 1. रामजीलाल पुत्र दुला जाति अहीर

2. मुखराम पुत्र दुला जाति अहीर (फौत)

2/1. जितेन्द्र दत्तक पुत्र मुखराम जाति अहीर निवासी मुण्डली तहसील बानसूर जिला अलवर

3. मदन पुत्र दुला जाति अहीर

4. जयराम पुत्र दुला जाति अहीर निवासीयान ग्राम मुण्डली तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान

5. रामजीलाल पुत्र भगवाना जाति अहीर निवासी ग्राम बहराम का बास तहसील बानसूर जिला अलवर

6. कालूराम पुत्र भगवाना जाति अहीर निवासी ग्राम बहराम का बास तहसील बानसूर जिला अलवर

:--- प्रतिवादीगण / अपीलांटस

बनाम

1 भरथा पुत्र चुन्ना जाति चमार (मृतक)

1/1 काशीराम पुत्र भरथा जाति चमार निवासी ग्राम बलवा का बास

18/1/19

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

तहसील बानसूर जिला अलवर

1/2 नन्दलाल पुत्र भरथा जाति चमार निवासी ग्राम बलवा का बास तहसील बानसूर जिला अलवर

1/3 ओमकार पुत्र भरथा जाति चमार निवासी ग्राम बलवा का बास तहसील बानसूर जिला अलवर

1/4 मु0 लाली पुत्री भरथा जाति चमार निवासी ग्राम बलवा का बास तहसील बानसूर जिला अलवर

1/5 मु0 जडावली बेवाह भरथा जाति चमार निवासी ग्राम बलवा का बास तहसील बानसूर जिला अलवर ।

1/6 महावीर पुत्र भरथा जाति चमार निवासी ग्राम बलवा का बास तह0 बानसूर जिला अलवर राजस्थान

2. किशना पुत्र चुन्ना जाति चमार निवासी ग्राम बलवा का बास तह0 बानसूर जिला अलवर राजस्थान (मृतक)

2/1 दुर्गा पुत्र किशना जाति चमार निवासी ग्राम बलवा का बास तह0 बानसूर जिला अलवर

2/2 चिरंजी पुत्र किशना जाति चमार निवासी ग्राम बलवा का बास तह0 बानसूर जिला अलवर राजस्थान

2/3 रामावतार पुत्र किशना जाति चमार निवासी ग्राम बलवा का बास तहसील बानसूर जिला अलवर

2/4 धूंधली बेवाह किशना जाति चमार निवासी ग्राम बलवा का बास तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान

18/11/19

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

2/5 विमला बेवाह बद्रीप्रसाद जाति चमार निवासी ग्राम बलवा का बास तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान

2/6 सतीश पुत्र बद्रीप्रसाद जाति चमार निवासी ग्राम बलवा का बास तहसील बानसूर जिला अलवर नाबालिग बसरपरस्ती मु0 विमला माता खुद

2/7 रघुवीर पुत्र बद्रीप्रसाद जाति चमार निवासी ग्राम बलवा का बास तहसील बानसूर जिला अलवर नाबालिग बसरपरस्ती मु0 विमला माता खुद

2/8 अनिल पुत्र बद्रीप्रसाद जाति चमार निवासी ग्राम बलवा का बास तहसील बानसूर जिला अलवर नाबालिग बसरपरस्ती मु0 विमला माता खुद

2/9 काली पुत्री बद्रीप्रसाद जाति चमार निवासी ग्राम बलवा का बास तहसील बानसूर जिला अलवर नाबालिग बसरपरस्ती मु0 विमला माता खुद

3 रामजीलाल पुत्र चुन्ना (मृतक)

3/1 जगन पुत्र स्व0 रामजीलाल जाति चमार निवासी ग्राम बलवा का बास तहसील बानसूर जिला अलवर

3/2 विशम्भर पुत्र स्व0 रामजीलाल जाति चमार निवासी ग्राम बलवा का बास तहसील बानसूर जिला अलवर

:-- वादीगण/असल रेस्पो0

4. शंकर पुत्र भाना जाति चमार निवासी ग्राम बलवा का बास तहसील

18/12/18

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

बानसूर जिला अलवर राजस्थान (मृतक)

4/1 कुरडा पुत्र शंकर जाति चमार निवासी ग्राम बलवा का बास तह0 बानसूर जिला अलवर राजस्थान

4/2 थावरिया पुत्र शंकर जाति चमार निवासी ग्राम बलवा का बास तहसील बानसूर जिला अलवर

4/3 बुद्धि पुत्री शंकर जाति चमार निवासी ग्राम बलवा का बास तह0 बानसूर जिला अलवर राजस्थान

4/4 चांदबाई पुत्री शंकर जाति चमार निवासी ग्राम बलवा का बास तह0 बानसूर जिला अलवर राजस्थान

4/5 मनोहरी पुत्री शंकर जाति चमार निवासी ग्राम बलवा का बास तह0 बानसूर जिला अलवर राजस्थान

5 बोदन पुत्री भाना जाति चमार निवासी ग्राम बलवा का बास तह0 बानसूर जिला अलवर राजस्थान

6 भीखा पुत्र भाना जाति चमार निवासी ग्राम बलवा का बास तह0 बानसूर जिला अलवर राजस्थान

7 राज0 सरकार जरिये तहसीलदार बानसूर

8

:----- प्रतिवादीगण/तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी, बानसूर दिनांक 6.11.2003

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- सुश्री सुषमा शर्मा

2. वकील रेस्पो0 :- श्री दाताराम यादव

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

पर्चा डिक्री   दिनांक 18.12.2019

अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 6.11.2003 आराजी खसरा नम्बर 1288 कुल रकबा 14 बिस्वा में से 8 बिस्वा भूमि की हद तक निरस्त किये जाते हैं तथा साबिक खसरा नम्बर 1288 कुल रकबा 14 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 1715 रकबा 18 एयर वाके ग्राम हाजीपुर तहसील बानसूर के अपीलांट नम्बर 5 व 6 रामजीलाल व कालूराम पुत्रान भगवाना जाति अहीर को पूर्व खातेदारी के अनुसार यथावत खातेदार अंकित रहने के आदेश दिये जाते हैं। तहत अदालत के शेष अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 6.11.2003 यथावत रखे जाते हैं।

18/12/19

(कमल राम मीना)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी, अलवर